न्यायालय उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर,सैफई इटावा

वाद स. 06 /11-12 धारा-143जेड.ए.एण्ड एल.आर.एक्ट

मुचेहरा सम्मिलित ग्राम सैफई तहसील सैफई जिला इटावा।

श्री सुघर सिंह यादव मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति,सैफई बनाम सरकार

निर्णय

प्रबन्धक श्री सुघर सिंह यादव शिक्षा प्रसार समिति सैफई तहसील सैफई जिला इटावा ने प्रार्थना पत्र धारा 143ज.वि.अधि.के तहत प्रस्तुत कर खतौनी वर्ष 1416-1421फसली के खाता स.207के गाटा स.313मि.रकबा 0.4050व गाटा स.313रकबा 0.4050तथा गाटा स.315मि.रकबा 0.4050कुल 3किता रकबा 1.2150मा.गु.21.95 के सम्पूर्ण भाग को अकृषिक घोषित करने की प्रार्थना की है,जिस पर तहसीलदार सैफई को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार सैफई ने मौके की स्थिति के अनुसार व नियम 135मे दिये गये प्रारुप के अनुशार अपनी जांच आख्या दिनाक 28.04.2012प्रस्तुत की।जांच आख्या से स्पष्ट है कि उपरोक्त गाटा स.313मि.रकबा 0.4050व गाटा स.313रकबा 0.4050तथा गाटा स.315मि.रकबा 0.4050कुल 3किता रकबा 1.2150मा.गु.21.95 के सम्पूर्ण भाग मे कृषि ,बागवानी अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन भी है,का होना मौके पर नही पाया जाता है।

तहसीलदार की जांच आख्या प्राप्त होने पर वाद दर्ज किया गया।मैने तहसीलदार की जांच आख्या का अवलोकन किया,जिससे विदित होता है कि ग्राम मुचेहरा सम्मिलित ग्राम सैफई के खाता स.207खतौनी फसली वर्ष 1416-1421के गाटा स. 313मि.रकबा 0.4050व गाटा स.313रकबा 0.4050तथा गाटा स.315मि.रकबा 0.4050कुल 3किता रकबा 1.2150 का सम्पूर्ण भाग जिसकी मालगुजारी 21.95जो श्री सुघर सिंह यादव शिक्षा प्रसार समिति सैफई तहसील सैफई जिला इटावा के नाम से संक्रमणीय भूमिधर की श्रेणी मे दर्ज है,जिसमे कृषि कार्य नही हो रहा है।तहसीलदार की आख्या दिनाक 28.4.2012के आधार पर उपरोक्त गाटा सख्याओको अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।यह उल्लेखनीय है कि धारा 143ज.वि.अ.मे दिये गये प्राविधानो के अतिरिक्त राजस्व परिषद व शासन द्वारा अकृषिक प्रयोजनो मे प्रयोग की जाने वाली भूमि को कृषक के प्रार्थना पत्र पर या स्वप्रेरणा से भी गैरकृषिक प्रयोजन मे प्रयोग होने की घोषणा की जा सकती है।

अतः स्पष्ट है कि ग्राम मुचेहरा सम्मिलित ग्राम सैफई तहसील सैफई के निम्नाकित भूखण्ड कृषि कार्य मे प्रयोग नही किये जा रहे है,विवरण निम्न प्रकार है।-

क्र. स.	विक्रेता का नाम	गाटा स.	क्षेत्रफल	क्रेता का नाम	गाटा स.	विक्रित क्षेत्रफल	मा.गु.	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	रामप्रसाद व लक्षन सिंह व मुकुट सिंह पुत्रगण रामदयाल नि.न.झवरा व रामसनेही पुत्र नवाब व मु.रानी देवी पत्नी स्व.मातादीन नि. झवरा व अहिवरन सिंह व सुरेशचन्द्र व सोवरन सिंह व कम्पोटर सिंह पुत्रगण छोटेलाल नि.झवरा भाग मुचेहरा।	313मि 313 315मि.	0.4050 0.4050 0.4050	श्री सुघर सिंह यादव मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति सैफई तह.सैफई जिला इटावा	313मि 313 315मि.	0.4050 0.4050 0.4050	21.95	
	योग	3किता	1.2150		3किता	1.2150	21.95	

आदेश

ग्राम मुचेहरा सम्मिलित ग्राम सैफई तहसील सैफई जिला इटावा की उपरोक्तानुशार विक्रति भूमि जिसका विवरण उपरोक्तानुशार सारणी मे दिया गया है.गाटा स. 313मि.रकबा 0.4050व गाटा स.313रकबा 0.4050तथा गाटा स.315मि.रकबा 0.4050कुल 3किता रकबा 1.2150मा.गु.21.95परगाना व तहसील सैफई जिला इटावा को अकृषिक घोषित किया जाता है।क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रपत्र 60ख से मालगुजारी का विवरण दिया गया है,तदनुशार उक्त भूखण्ड को भूराजस्व से मुक्त किया जाता है।आदेश की एक प्रति तहसीलदार सैफई को अमलदरामद हेतु भेजी जावे एंव एक प्रति सब रजिस्ट्रार सैफई को अनुपालन हेतु भेजी जावे ।बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनाक 02/05/2012

(एस0के0शर्मा)
उपजिलाधिकारी/
सहायक कलेक्टर,सैफई

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपिकार/परगना अधि.
सैफई (इटावा)

उप प्रबन्धक
सुघर सिंह मेमोरियल शिक्षा प्रसार समिति
सैफई, इटावा